

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 91 / 2026

अरविन्द कुमार एवं 51 अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, लखनऊ एवं 8 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – प्रिंस लेनिन

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, हर्ष वर्धन मेहरोत्रा, मोहन सिंह, उत्कर्ष वर्धन सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रिंस लेनिन, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल शुक्ला, गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह और विपक्षी संख्या 9 के विद्वान अधिवक्ता सुश्री श्रेया अग्रवाल एवं श्री उत्कर्ष वर्धन सिंह की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव मेहरोत्रा को सुना।
2. कथित तौर पर सार्वजनिक हित में दायर इस रिट याचिका द्वारा, 52 याचिकाकर्ताओं ने, विपक्षी संख्या 6, 7 और 8 द्वारा ग्राम पंचायत अलादादपुर, हैदरगढ़, जिला बाराबंकी के सदस्यों के जाली हस्ताक्षर करते हुए सरकारी भूमि के अवैध, अविधिपूर्ण हस्तांतरण की उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. विपक्षी दलों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा कुछ प्रारंभिक आपत्तियां की गईं, जिसके उत्तर में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि वह रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और उन्होंने याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध वैधानिक उपचार का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्रता मांगी है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. तदनुसार, रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ **खारिज** की जाती है।

12 फरवरी, 2026

प्रदीप

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated version. Not for legal use.